भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *94

जिसका उत्तर 08.02.2024 को दिया जाना है

एक्सप्रेसवे पर घातक दुर्घटनाएं

*94. श्री राजन बाबूराव विचारे:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एक्सप्रेसवे पर अवैध रूप से पार्क किए गए भारी वाणिज्यिक वाहनों के कारण घातक दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या एक्सप्रेसवे पर ऐसे खतरों को रोकने के लिए निगरानी वाहन दल तैनात किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या एक्सप्रेसवे पर भारी वाहनों के लिए निर्दिष्ट पार्किंग स्थल उपलब्ध कराए जाएंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

'एक्सप्रेसवे पर घातक दुर्घटनाएं' के संबंध में श्री राजन बाबूराव विचारे द्वारा दिनांक 08.02.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 94* के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस विभागों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2019 से 2022 की अवधि के दौरान देश में राष्ट्रीय राजमार्गों (राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे सहित) पर घातक दूर्घटनाओं की संख्या नीचे तालिका में दिया गया है:

वर्ष	घातक दुर्घटनाओं की संख्या
2019	51,036
2020	45,655*
2021	50,953*
2022	55,571

*कोविड से प्रभावित वर्ष

जैसा कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (एमवी अधिनियम, 1988) की धारा 118 के सक्षम प्रावधानों के तहत अनिवार्य है, मंत्रालय ने साकानि 634 (अ) दिनांक 23.06.2017 के माध्यम से "मोटर वाहन (ड्राइविंग) विनियम, 2017" अधिसूचित किया, जो भारी वाहनों के चालकों सहित सभी सड़क उपयोगकर्ताओं द्वारा अनुपालन की जाने वाली नियामक आवश्यकताओं का प्रावधान करता है जैसे - ड्राइवरों और सवारों के कर्तव्य, लेन यातायात, मार्गाधिकार, रुकने और पार्किंग करने, यातायात व्यवस्था को बिगाड़ने वाले और ट्रैक्टरों एवं माल ढोने वाले वाहनों के चलाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 177ए, जैसा कि मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत शामिल है, अधिनियम की धारा 118 के तहत बनाए गए नियमों के उल्लंघन के लिए दंड निर्धारित करती है।

मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 136ए के प्रावधानों के अनुसार, मंत्रालय ने दिनांक 11 अगस्त, 2021 को साकानि 575 (अ) के माध्यम से सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन के लिए नियम अधिसूचित किए हैं।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा वर्तमान में उच्च यातायात घनत्व वाले राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे जैसे दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, ट्रांस-हरियाणा, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे आदि में उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली (एटीएमएस) स्थापित की गई है।

मंत्रालय ने राष्ट्रीय एक्सप्रेस-वे पर वाहन चालकों के हित में विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे मार्गस्थ सुविधाएं आदि।

मंत्रालय ने दिसंबर, 2023 में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से अठारह महीने या उसके बाद निर्मित 3.5 टन से अधिक सकल वाहन वजन वाले माल वाहन के केबिन के लिए एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम के प्रावधान के लिए नियमों को अधिसूचित किया है।

मंत्रालय ने जुलाई 2023 में राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर साइनेज के प्रावधान के लिए दिशानिर्देश भी परिचालित किए हैं ताकि सुरक्षित नेविगेशन के लिए ड्राइवरों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जा सके और लेन परिवर्तन से जुड़े जोखिमों को कम किया जा सके।

राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे के उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1033 24*7 उपलब्ध है।

(ख) राष्ट्रीय एक्सप्रेस मार्गों पर ठेकेदारों/रियायतग्राहियों द्वारा लगाए गए मार्ग गश्ती वाहनों (आरपीवी)/राजमार्ग निगरानी वाहनों (एचएसवी) की बहुविध भूमिकाएं होती हैं जिनमें राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों को हटाना शामिल है। वर्तमान में, कुल 39 एचएसवी / आरपीवी चालू राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर तैनात हैं जैसा कि विवरण नीचे दिया गया है: -

क्र.सं.	राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का नाम	परिचालन लंबाई (किमी में)	तैनात एचएसवी/आरपीवी की संख्या
1	अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे	93.303	3
2	दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे	84	6
3	ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे	135	5
4	दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे	457.74	17

(ग) मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर लंबी दूरी की यात्रा की थकान को कम करने के लिए ड्राइवरों के लिए पार्किंग, डॉरमेट्री, ढाबा आदि जैसी विश्राम सुविधाओं वाले मार्गस्थ सुविधाओं (डब्ल्यूएसए) के विकास के संबंध में दिनांक 11.02.2021 को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग लाजिस्टिक प्रबंधन लिमिटेड (एनएचएलएमएल) ब्राउनफील्ड राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे में नियमित अंतराल पर मार्गस्थ सुविधाएं विकसित कर रहा है।

वर्तमान में 48 मार्गस्थ सुविधाएं राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर कार्य कर रही हैं। 48 डब्ल्यूएसए में से 20 मार्गस्थ सुविधाएं कार्यरत राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर हैं जैसा कि अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

'एक्सप्रेसवे पर घातक दुर्घटनाएं' के संबंध में श्री राजन बाबूराव विचारे द्वारा दिनांक 08.02.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 94* के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर 08 परिचालन मार्गस्थ सुविधाओं का विवरण: -

क्र. सं.	राज्य	एनएच/राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे	साइट विवरण
1.	हरियाणा	दिल्ली-मुंबई	डीडी 2-3एल_पैकेज3_63 + 140 एलएचएस
2.	हरियाणा	दिल्ली-मुंबई	डीडी 2-4आर_पैकेज3_69 + 900 आरएचएस
3.	राजस्थान	दिल्ली-मुंबई	डीडी 4-6एल_पैकेज6_172 + 550 एलएचएस
4.	राजस्थान	दिल्ली-मुंबई	डीडी 4-6आर_पैकेज6_172 + 550 आरएचएस
5.	राजस्थान	दिल्ली-मुंबई	डीडी 3-5आर_पैकेज5_125 + 600 आरएचएस
6.	राजस्थान	दिल्ली-मुंबई	डीडी 3-5एल_पैकेज5_125 + 600 एलएचएस
7.	उत्तर प्रदेश	ईस्टर्न पेरिफेरल	कुंडली - पलवल/एनई2_39+500_ आरएचएस_मिलक चकरपुर_गाजियाबाद
8.	उत्तर प्रदेश	ईस्टर्न पेरिफेरल	कुंडली - पलवल/एनई2_39+500_एलएचएस _ मिलक चकरपुर_गाजियाबाद

*****